FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी.........

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सुखराम पुत्र वीराराम वगैरा (6) जाति विश्नोई निवासी नई बाण्ड तहसील नौखडा जिला बाड़मेर		1. पोकरराम पुत्र वीराराम वगैरा (7) जाति विश्नोई निवासी नई बाण्ड तहसील नौखड़ा 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा

किस्म मुकदमा......धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	मु0नं0...98 / 2023. नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2023	प्रार्थीगण सुखराम वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री हरिराम विश्नोई द्वारा विप्रार्थीगण पोकराराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 रा. का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि तहसील नौखडा पटवार मण्डल बाण्ड के राजस्व ग्राम नई बाण्ड में खेत खसरा नम्बर 160 रकबा 9.7853 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 1.9749 हैक्टेयर एवं ग्राम खीचडों का वास में खेत खसरा संख्या 807 रकबा 0.9874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 811 रकबा 11.5254 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754 रकबा 2.7195, खसरा नम्बर 781 रकबा 6.5154 हैक्टेयर की अवस्थित है। प्रार्थीगण प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के हिस्से खुले हुए है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं। कानूनी बंटवाडा नहीं होने तथा भूमि संयुक्त खातेदारी में होने के कारण अपने अपने हिस्सों की सीमाओं को लेकर हर समय विवाद बना रहता है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की उपजाऊ बनाई गई भूमि पर जबरन कब्जा कर बिना बंटवाडा कराये अजनवी व्यक्तियों को बेचान करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि विप्रार्थीगण से अलग करवाकर शेष प्रतिवादीगण से विभाजित करवाने हेतु बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिराम विश्नोई से बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, हिस्से खुले हुए हैं तथा भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। चूंकि प्रार्थीगण बकील की बहस अनुसार विप्रार्थीगण बिना बंटवाडा करवाये भूमि को बेचान कर प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है, प्रार्थीगण विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, ऐसी स्थिति में [illegible] आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख [illegible] प्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द [illegible] कि विवादित आराजी तहसील नौखडा पटवार मण्डल बाण्ड के रा[illegible] ग्राम ग्राम नई बाण्ड में खेत खसरा नम्बर 160 रकबा [illegible] खसरा नम्बर 161 रकबा 1.9749 हैक्टेयर एवं ग्राम [illegible] खसरा संख्या 807 रकबा 0.9874 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 811 रकबा 11.5254 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754 रकबा 2.7195, खसरा नम्बर 781 रकबा 6.5154 हैक्टेयर भूमि के रिकॉर्ड की यथारिथति बनाए रखे। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा आज ही जारी करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 10.07.2023 को पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि : 1. तहसीलदार, गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:37:28 IST
Reason: Self Attested

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/6/24 पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा..18/7/24.को पेश हो ।	
18/7/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजे दिलाई गई। बावजूद आवाजे दिलाने के प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। उक्त प्रकरण प्रार्थीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिवत पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।	
कलेक्टर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:37:28 IST
Reason: SelfAttested